छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 फरवरी, 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभाग ....
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- भण्डार क्रय नियम के तहत् शासकीय खरीदी ऑनलाईन ई-मानक पोर्टल (ई-मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ छत्तीसगढ़) प्रक्रिया से सुनिश्चित् किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः (1) विभाग से जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 रायपुर दिनांक 05 जुलाई 2017।
(2) विभाग से जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 नवा रायपुर दिनांक 30 सितंबर 2019।
(3) विभाग से जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 नवा रायपुर दिनांक 29 दिसंबर 2020।
(4) विभाग का पत्र क्रमांक एफ 20-38/2017/11-6 दिनांक 07.08.2021।

विषयांतर्गत इस विभाग की दिनांक 30 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के नियम-3 के तहत् परिशिष्ट-1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तो के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से करना अनिवार्य किया गया है। इसी के अनुक्रम में दिनांक 07.08.2021 को समस्त विभागों को पत्र जारी कर ई-मानक पोर्टल में अनुबंधित दर एवं प्रदायकों से ही सामग्री का शासकीय क्रय सुनिश्चित् किये जाने हेतु आग्रह किया गया था।

इसी संदर्भ में विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2020 में भण्डार क्रय नियम-4 के उप नियम- 4.3.2 में वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री क्रय कर सकेगा, यह प्रावधान लागू किया गया है। अधिसूचना के पैरा क्रमांक (दो) में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन विभागों के द्वारा जेम के माध्यम से

खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाए, के संबंध में व्यवस्था दी गई थी। **इसका आशय यह था कि 31 मार्च, 2021 के उपरांत जेम (GeM) से क्रय नहीं किया जाना है।**

अतः पुनः आग्रह किया जा रहा है कि संलग्न अधिसूचना एवं पत्र में निहित प्रावधान एवं निर्देशो का पालन विभागीय स्तर पर शासकीय खरीदी प्रक्रिया में सुनिश्चित् करने तथा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत संचालित ई-मानक पोर्टल(www.ceps.cg.gov.in) से ही अनिवार्यतः सामग्री क्रय की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु अधिनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि (संदर्भित निर्देशों की प्रतियां)

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्र एफ 20-38/2017/11/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि :-

1. मान. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ शासन, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर।
10. सीनियर तकनीकी निर्देशक, एनआईसी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग